18.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प धोराज
[illegible] में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी
शहादत प्रस्तुत नहीं कर सिर्फ बहस करना
चाहते हैं, वादी की बहस सुनी गयी। वादी
ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों
व दस्तावेजों के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार
किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि प्रति-
वादी की ओर से पेशकार सरकार ने उपस्थित
होकर शहादत प्रस्तुत नहीं कर, बहस करनी
चाही, बहस सुनी गई। बहस के दौरान
पेशकार सरकार ने वाद पत्र के खंडन में
प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर वाद-पत्र
को खारीज की जाने की इस्तदुआ की।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया
तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया।
विवादित आराजियात ग्राम सारणो का खेड़ा
पटवार हल्का धोराज तहसील मांडल, जिला
भीलवाड़ा में स्थित होकर बिलानाम दर्ज
रेकार्ड है। वादी ने आ० न० 435 रकबा 3 बीघा भूमि
पर सं. 2063 से 69 पर नाजायज कब्जा किया
हुआ है। जिसकी ताईद प्रस्तुत खसरा गिरदावरी
शील P.14 से होती है, वादी को विवादित
आराजियात आवंटन नहीं होने व बिना किसी
आदेश से कब्जा कर लिया जो न्यायोचित
है इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर की वृहत पीठ के निर्णय अनुसार—

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

APP. A
CIVIL 1

अदालत

मुकाम

इस मुकदमा

बनाम

नं. 130 सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिस प्रकार से मार्ग दर्शन प्राप्त होता है उसके अनुसार वादी के द्वारा वाद पत्र के समर्थन मे ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नही किया। जिससे यह प्रकट होता हो कि उसका खातेदारान सरकार की भूमि पर 30 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा हो इसलिए वादी का वाद-पत्र निरर्थक: आधारहीन है, इस संबंध मे राजस्व बोर्ड अजमेर के निर्णय 2013 (1) पेज 81 RRW(RJ) से यह निर्देश मिलता है कि आधारहीन निरर्थक वादो को रोकने के लिए न्यायालय को अपनी स्वीय विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर आधारहीन व निरर्थक दावो को रोकने से पक्षकारो के अकारण समय; श्रम व अर्थ को बचाया जा सके। इस संबंध मे पटवार हल्का धोड़ास से रिपोर्ट ली गई, जिससे वादी का वाद आधारहीन होना प्रकट है। अत: यह वादी दावा पत्र आधारहीन व निरर्थक होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा-डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय मजमें आम मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–घोड़ास तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–130/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री शंकर पिता हीरा जाट, उम्र बालिग निवासी सारणों का खेड़ा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ———प्रतिवादी

———————

वादी की ओर से श्री – एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 18.5.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र आधारहीन व निरर्थक होने से खारीज किया जाता हैं।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 18.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा